अति आवश्यक/स्थायी निर्देश

उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, लखनऊ

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांकः पीएसी–1–निर्देश–2013

दिनांकः सितम्बर 14, 2013

स्थायी आदेश संख्या : 02/2013

सेवा में,

1. **समस्त सेनानायक,**
   पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।
2. **समस्त पुलिस महानिरीक्षक,**
   पीएसी जोन, उ0प्र0।
3. **समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक,**
   पीएसी अनुभाग, उ0प्र0।

पीएसी के अराजपत्रित कर्मी अपने सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण एवं स्थानान्तरण के संबंध में पीएसी मुख्यालय में उच्चाधिकारियों के समक्ष उपस्थित होते हैं, जिससे मुख्यालय का राजकीय कार्य तो प्रभावित होता ही है, कर्मी को भी आने–जाने में प्रशासकीय समय व्यय करना पड़ता है।

2. अतः अब अराजपत्रित कर्मियों के सेवा/स्थानान्तरण संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाएगी :–

(1). कर्मी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र वाहिनी स्तर पर दिए जाएंगे। अपने प्रार्थना पत्र में कर्मी अपना पी0एन0ओ0 नम्बर एवं मोबाइल/सम्पर्क नं0 अवश्य अंकित किया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसकी समस्या के समाधान हेतु अधिकारियों द्वारा उससे बात की जा सके।

(2). सेनानायक द्वारा इस प्रार्थना पत्र को 05 दिवस के अन्दर निस्तारित कर दिया जाएगा। यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है तो सेनानायक उस कर्मी को अपने पास बुलाकर बात कर लेंगे और यदि कर्मी मुख्यालय पर नहीं है तो सम्पर्क नम्बर से बात कर प्रकरण निस्तारित करेंगे।

(3). यदि प्रकरण का निस्तारण अनुभाग स्तर/जोन स्तर/मुख्यालय स्तर से होना है तो सेनानायक द्वारा इस प्रार्थना पत्र को स्कैन कर ई–मेल द्वारा संबंधित अधिकारियों/मुख्यालय को भेज दिया जाएगा। अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/जोनल पुलिस महानिरीक्षक/मुख्यालय के अधिकारी ई–मेल प्राप्त होने पर 01 सप्ताह के अन्दर निर्णय लेकर सेनानायक को अवगत करा दें और सेनानायक द्वारा निर्णय से तुरन्त कर्मी को अवगत करा दिया जाएगा।

(4). यदि इसके बावजूद भी कर्मी सेनानायक या मुख्यालय के अधिकारियों के पास प्रस्तुत ही होना चाहता है तो संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर 01 दिवस का अवकाश लेकर उपस्थित हो सकेगा। सेनानायक तथा मुख्यालय के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जो भी कर्मी प्रस्तुत होने के लिए आता है तो उसकी बात उसी दिन अवश्य सुन ली जाए, जिससे कि वह उसी दिन वाहिनी वापस जा सके।

3. आशा की जाती है कि उपरोक्त प्रकिया से कर्मियों को वाहिनी अथवा मुख्यालय पर आने–जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे शासकीय समय की बचत होगी।

(रंजन द्विवेदी), 14/9
पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि समस्त राजपत्रित अधिकारी, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।